

## ESIC राजस्थान में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापति करेगा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में **कर्मचारी राज्य बीमा नगिम (ESIC)** की स्थायी समितिकी 231वीं बैठक में अलवर, राजस्थान में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापति करने का नरिणय लया गया ।

### मुख्य बढि:

- अलवर में एक नए ESI उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से अलवर, खैरथल-तजारा, कोथपुतली-बहरोड़, भरतपुर और डीग ज़िलों में रहने वाले लगभग 12 लाख बीमति शरमकि एवं ESIC योजना के लाभार्थी लाभानवति होंगे ।
- बैठक के दौरान हारोहल्ली, नरसापुरा, बोममासंद्रा (कर्नाटक), मेरठ, बरेली (उत्तर प्रदेश), पीथमपुर (मध्य प्रदेश) और डुबुरी (ओडशा) में 7 नए ESI अस्पतालों के नरिमाण के लयि कुल अनुमानति लागत 1128.21 करोड़ रुपए को भी स्वीकृति दी गई ।

### कर्मचारी राज्य बीमा नगिम

- भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा नगिम एक **बहुआयामी सामाजकि प्रणाली** है जो **कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) योजना** के तहत आने वाले शरमकि आबादी और तत्काल आशरति या परिवार को सामाजकि-आर्थकि सुरक्षा प्रदान करती है ।
- **ESI कर्मचारी राज्य बीमा अधनियिम, 1948** में सन्नहिति सामाजकि बीमा का एक एकीकृत उपाय है ।
- ESI को कर्मचारियों को रोगों, मातृत्व, दवियांगता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु की घटनाओं के प्रभाव से बचाने एवं बीमति वयक्तियों व उनके परिवारों को चकितिसा देखभाल प्रदान करने के कार्य को पूरा करने के लयि डज़ाइन कया गया है ।
- **योजना का कवरेज:**
  - ESI योजना **कारखानों और अन्य प्रतषिठानों** पर लागू होती है । सड़क परविहन, होटल, रेस्तरां, सनिमा, समाचार पत्र, दुकानें और शैक्षकि/चकितिसा संस्थान जहाँ 10 या अधिक वयक्तकार्यरत हैं ।
    - हालाँकि कुछ राज्यों में प्रतषिठानों के कवरेज की सीमा अभी भी 20 है ।
  - उपरोक्त श्रेणियों के कारखानों और प्रतषिठानों के कर्मचारी, जो प्रतमाह 15,000/- रुपए तक वेतन लेते हैं, ESI अधनियिम के तहत सामाजकि सुरक्षा कवर के हकदार हैं ।
    - हालाँकि ESI कॉरपोरेशन ने ESI अधनियिम के तहत कर्मचारियों के कवरेज के लयि वेतन सीमा को 15,000/- रुपए से बढ़ाकर 21,000/- रुपए करने का भी नरिणय लया है ।
  - ESI कॉरपोरेशन ने 1 अगस्त, 2015 से ESI योजना के तहत कार्यानवति क्षेत्रों में **स्थत्तिनरिमाण स्थलों पर तैनात शरमकिों को ESI योजना** का लाभ दया है ।
    - ESI योजना ज़लिवार लागू की गई है ।
    - अब इसे 34 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के 526 ज़िलों में अधसिचति कया गया है ।